आठवीं अनुसूची

[धारा 86क देखिए]

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,--

(1) अध्याय 15 में, टिप्पण 5 के पश्चात, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"6. शीर्ष 1507 से 1515 के अंतर्गत आने वाले परिष्कृत खाद्य वनस्पति तेलों के संबंध में परिष्करण की प्रक्रिया, अर्थात् एक या अधिक प्रक्रियाएं, जैसे कि अल्कली विरंजन और निर्गन्धीकरण से कच्चे तेल का उपचार "विनिर्माण" की कोटि में आएंगी।';

(2) अध्याय 17 में, शीर्ष 1703 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "1000 रुपए प्रतिटन" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(3) अध्याय 22 में टैरिफ मद 2201 90 90 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "16%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(4) अध्याय 25 में, टैरिफ मद 2523 10 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "350 रुपए प्रतिटन" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(5) अध्याय 27 में,--

(i) उपशीर्ष 2710 11 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "16% **धन** 15 रुपए प्रति लीटर" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 2710 19 30 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "16% **धन** 5.00 रुपए प्रति लीटर" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(iii) टैरिफ मद 2710 19 40 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "16% **धन** 5.00 रुपए प्रति लीटर" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(6) अध्याय 57 में, टैरिफ मद 5701 10 00, 5701 90 10 और 5701 90 90 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "16%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(7) अध्याय 71 में, टिप्पण 11 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'12. इस अध्याय में, "ब्रांड नाम" या "व्यापार नाम" से कोई ब्रांड नाम या व्यापार नाम, चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, अर्थात् कोई नाम या चिह्न जैसा कि प्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर या आविष्कृत शब्द या कोई लेखा अभिप्रेत है, जिसका उपयोग किसी उत्पाद के संबंध में उत्पाद और उस नाम या चिह्न का उपयोग करने वाले किसी व्यक्ति के बीच में, उस व्यक्ति की पहचान का कोई संकेत दिए बिना व्यापार के अनुक्रम में संबंध उपदर्शित करने के प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाता है या उपदर्शित किया जाता है।

13. शीर्ष 7113 के प्रयोजनों के लिए, आभूषण की वस्तुओं पर व्यापार नाम या ब्रांड नाम लगाने या छापने की प्रक्रियाए "विनिर्माण" की कोटि में आएंगी ।'।

website: http://indiabudget.nic.in